(32)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–875/35 नवा रायपुर, दिनांक 06/01/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषयः– **Diversion of forest land for Non-Forest purpose under Forest Conservation Act - 1980 Construction of ITI, Polytechnic and other associated infrastructures in village-Chokawada, Tehsil - Jagdalpur, District-Bastar, Under CSR activities of NMDC Ltd. area 9.80 - reg.**

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-II/IROCH-22/ 2023/ 1449 (A) दिनांक 04.07.2023
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–10/ 2023 / 10–2 दिनांक 02.08.2023
3. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ./ 3033 दिनांक 28.11.2024

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में लेख किया गया है कि Proposal is part of CSR activity and it falls under non-site specific project aas per Para 1.15 of Handbook of FC Act and guidelines, 2019 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण को वापस किया गया है, जिसकी संसूचना छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

संदर्भित पत्र – 3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के प्रतिवेदन अनुसार बस्तर वनमण्डल के माचकोट परिक्षेत्र अन्तर्गत् ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नम्बर 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नम्बर 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे–बड़े झाड़ के जंगल) का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि नहीं है, यह एन.एम.डी.सी. लिमिटेड द्वारा एन.एम.डी.सी. के इस्पात संयंत्र के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान दिया गया आश्वासन है, ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु चयनित क्षेत्र परियोजना प्रभावित गाँवों के निवासियों के लिए सुविधा जनक है, आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाने के उद्देश्य स्थानीय आदिवासी छात्राओं को एन.एम.डी.सी. इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा और कौशल में निपुण करना है।

o/c

(83)

संदर्भित पत्र–1 से की गई प्रेक्षा के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के संदर्भित पत्र–3 के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

क्र0/भू–प्रबंध/ विविध/115–875/36 नवा रायपुर, दिनांक 06/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर।
2. **वन मंडलाधिकारी**, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
3. **अधिशासी निदेशक**, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
छत्तीसगढ़